

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,

अनुदान सं०-83

तेरह अंको का कोड-2515007890401

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी उ०प्र०,

आगरा, एटा, प्रयागराज, जालौन, गाजीपुर, देवरिया, उन्नाव, हरदोई, खीरी, बाराबंकी, ललितपुर,
गाजियाबाद, महोबा, कौशाम्बी तथा शामली।

संख्या- 1/555 /2020-1/07/2020 : लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2021


विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थाये-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-22/2020/881(1)/33-3-2020-100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रूपया-17,20,75,443/- (रूपया सत्रह करोड़ बीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ तैंतालिस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
8. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
9. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021 /दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थाये-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
12. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।


13. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
14. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
15. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
16. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
17. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
18. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
- 1- कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिक्लिमलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2- वर्ष 2020-21 में यदि कोई धनराशि अवशेष है, तो उसका समर्पण दिनांक 15.03.2021 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-73 पर अंकित है।
- संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।**

भवदीया,

 (किंजल सिंह)
 निदेशक,
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/555/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस्0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


 (ब्रजेश कुमार)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

6

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-24/02/2021

प्रेषण संख्या:- 1-555-2020
आवंटन आदेश संख्या:- 007-1-07-2020

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
04 -
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 143827020	7989332 32323585	0 407193	0 5182453	7989332 181740251
2	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5945696 176921245	966503 29598232	0 468614	355840 6320021	7268039 213308112
3	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 440759166	203725 75615079	1837335 8157841	0 16136715	2041060 540668801
4	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	13270571 237877289	1783445 39385645	0 662787	425265 9403197	15479281 287328918
5	गाजीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10591934 504940287	0 84039538	0 1489251	0 18954109	10591934 609423185
6	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	16759022 391892381	0 72598783	0 1143314	0 14551264	16759022 480185742
7	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4951051 291138216	55586 48703909	0 870518	0 11079319	5006637 351791962
8	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2434836 154134895	2746638 27995212	0 428484	0 5453429	5181474 188012020
9	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7982922 125034720	1312759 20775659	0 369109	0 4697750	9295681 150877238
10	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	37616807 347116834	4312712 57810845	0 1024997	0 13045414	41929519 418998090
11	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4355892 174372087	12090420 43440490	0 494005	0 6287339	16446312 224593921
12	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7809277 52075731	874421 8306197	0 144113	224310 2761110	8908008 63287151
13	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3402473 80787128	503290 13658256	0 256504	0 3264595	3905763 97966483
14	कौशांबी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	16942301 202274778	1919779 35573609	0 549740	0 6996694	18862080 245394821
15	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	788007 35169649	1623294 7408174	0 98122	0 1248825	2411301 43924770
	योग	वर्तमान प्रगामी	132850789 3358321426	36381904 597233213	1837335 16564592	1005415 125382234	172075443 4097501465

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ बीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ तियालीस

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
24-02-2021, 17:51
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।